

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।**

पत्रांक

/नजारत, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद

दिनांक 27 जून, 2015

**निविदा सूचना**


न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में लगी लिफ्ट का वार्षिक अनुरक्षण किये जाने की बाबत इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से दिनांक 13.07.2015 की सांय 04.00 बजे तक सील बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं । सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म लिफ्ट का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कर निविदा फार्म, निविदा सम्बन्धी शर्तें जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से रूपये 100/- (एक सौ) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं ।-

निविदा फार्म के साथ जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में देय रूपये 2,000/- (दो हजार) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट/चैक दिनांक 13.07.2015 की अपराह्न 04.00 बजे तक जमा करना होगा ।

निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदा निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्त किये जायेंगे :-

- 1- निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजिकरण होना अनिवार्य है ।
- 2- निविदा में लिफ्ट के अनुरक्षण में किये जाने वाले कार्य का विवरण अंकित करना अनिवार्य है ।
- 3- प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 2,000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट/चैक जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में सलंगन करना होगा ।
- 4- भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जा सकेगा । भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
- 5- स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद) को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं ।

  
27/6/15

प्रभारी अधिकारी नजारत,

जनपद न्यायालय, गाजियाबाद ।

**Officer Incharge Nazarat**  
District Court, Ghaziabad

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु :-

- 1- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
- 3- नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद ।
- 4- तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद ।
- 5- नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
- 6- स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
- 7- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु ।